न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान मोहम्मद शोकत खांन बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना–पत्र संख्या 180 / 2025
निर्णय दिनांक 09-07-2025

मोहम्मद शोकत खांन पुत्र महनू खांन जाति कयामखानी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट

—::निर्णय::—

उपस्थितिः–

1. श्री विकास सिहाग (वकील प्रार्थी)
2. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार तारानगर

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा राजपुरा पटवार हल्का राजपुरा तहसील तारानगर के खाता संख्या 516 के खसरा सं. 847 / 109 तादादी 4.9695 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सोकतअलीखां पुत्र महनुखां अंकित है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद इन्तकाल दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम भूलवश व कम्प्यूटर की गलती से सोकतअलीखां पुत्र महनूखां दर्ज हो गया, जो कि गलत दर्ज हुआ। जबकि सही नाम मोहम्मद शोकत खांन पुत्र महनू खान है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि में प्रार्थी का नाम मोहम्मद शोकत खांन पुत्र महनू खान दर्ज है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान व भारत सरकार व राज्य सरकार की विभन्न योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही राजपुरा पटवार हल्का राजपुरा तहसील तारानगर के खाता संख्या 516 के खसरा सं. 847 / 109 तादादी 4.9695 हैक्ट. में प्रार्थी का नाम मोहम्मद शोकत खांन पुत्र महनू खान किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम सोकतअलीखां पुत्र महनूखां व मोहम्मद शोकत खांन पुत्र महनू खान दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट मे प्रार्थी का नाम मोहम्मद शोकत खांन पुत्र महनू खान पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सोकतअलीखां पुत्र महनूखां अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही राजपुरा पटवार हल्का राजपुरा तहसील तारानगर के खाता संख्या 516 के खसरा सं. 847 / 109 तादादी 4.9695 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम सोकतअलीखां पुत्र महनूखां Delete कर इसके स्थान पर मोहम्मद शोकत खांन पुत्र महनू खान अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09-07-2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)